न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 14/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. स्वर्गीय नागजी आत्मज श्री हुमला डिण्डोर, जाति भील के बजाय :–

1/1. देवजी आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. कमजी आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. लिमजी आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. स्वर्गीय वारजी आत्मज श्री रंगजी डिण्डोर, जाति भील के बजाय :–

2/1. श्रीमती शान्ति पत्नी स्वर्गीय श्री वारजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. लालु आत्मज श्री रंगजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. रकमा आत्मज श्री मनजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. स्वर्गीय शान्ति आत्मज श्री मनजी डिण्डोर, जाति भील के बजाय :–

5/1. कल्पेश आत्मज स्वर्गीय श्री शान्ति डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. मिठु आत्मज आत्मज श्री मनजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. श्रीमती राधी पत्नी आत्मज श्री मनजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. जीवा आत्मज श्री हुमला डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. मावजी आत्मज श्री धारीया डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

10. स्वर्गीय देवा आत्मज श्री धारीया डिण्डोर, जाति भील के बजाय :–

10/1. श्रीमती जीवणी पत्नी स्वर्गीय श्री देवा डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

10/2. हुरजी आत्मज स्वर्गीय श्री देवा डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

11. कमजी आत्मज आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कानजी आत्मज श्री बदिया, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. स्वर्गीय होकमा आत्मज श्री खातु, जाति भील के बजाय :–

1/1. श्रीमती बुली उर्फ भुली बेवा स्वर्गीय होकमा जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. महेश आत्मज स्वर्गीय श्री होकमा नाबालिग की सरपरस्त वलिया माता बुली उर्फ भुली बेवा स्वर्गीय होकमा जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. सुभाष आत्मज स्वर्गीय श्री होकमा नाबालिग की सरपरस्त वलिया माता बुली उर्फ भुली बेवा स्वर्गीय होकमा जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. श्रीमती हीरा बेवा स्वर्गीग श्री खातिया, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 29.01.2015 प्र.सं. 58/2008

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री भगवतपुरी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय दिनांक 24–01–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार पक्षकारान का सजरा है, जिसमें मूल पुरूष कालिया जी के दो पुत्र मंगला व बदिया हुए। बदिया के वारिसान प्रतिवादीगण तथा मंगला के वारिसान वादीगण हैं। ग्राम छत्रसालपुर की आराजी नंबर 268 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है एवं सेटलमेन्ट के समय उक्त भूमि श्री सरकार थी, जिसे वादीगण के दादा हूमला व तेजिया ने संयुक्त रूप से नोतोड निकाली, तब से वादीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। संवत् 2008 से 2030 तक की गिरदावरी में भी वादीगण के पूर्वज का कब्जा दर्ज है एवं संवत् 2031 से राज्य सरकार के आदेश से कब्जा दर्ज होने पर पाबन्दी होने से वादीगण का कब्जा दर्ज नहीं है, परन्तु मौके पर आज भी वादीगण काबिज हैं। संवत् 2027 में वादीगण के पूर्वज तेजिया व हूमला के जीवित होते हुए प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता ने वादीगण की पीठ पीछे राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली, जो अवैध है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। वादीगण ही उक्त भूमि के असली मालिक व काबिज हैं। अतएवं वादीगण के पक्ष में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की :–

1. आया सर्वे नंबर 268 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वके ग्राम छत्रसालपुर के वादीगण कानूनन खातेदार कृषक काबिज हैं ? ..... वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण ने वादी की पीठ पीछे Behind Back of the Party उक्त खेत राजस्व कर्मचारी से मिलकर अवैध रूप से अपने नाम करवा लिया ? ..... वादीगण

3. आया वादीगण उक्त खेत नंबर 268 के खातेदार कृषक घोषित कराने के पात्र हैं ? ..... वादीगण

4. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र में बताये अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए कानूनन अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

5. आया वादी व प्रतिवादी के वंशज अलग–अलग हैं तथा आराजी सर्वे नंबर 268/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पर होकमा व हीरा तथा आराजी 268/2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा पर कानजी काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा मौके पर खेती कर रहे हैं ? .....प्रतिवादीगण

6. दादरसी ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर तनकीवार वाद विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29–01–2015 से वादीगण का का वाद सारहीन होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–03–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन नहीं

किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष 4 मौखिक साक्ष्य तथा 9 दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी थी, उसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा 2 मौखिक एवं 27 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी नंबर 1 जो की मौलिक तनकी है, उस पर त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी जो की राजस्व अभिलेख है, उस पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रभावी साक्ष्य मूल्य वर्णित नहीं किया गया है। वादीगण ने अपना कब्जा भी प्रमाणित करवाया था, जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर दिया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2, 3, 4 व 5 का निर्णय भी साक्ष्यों के विरूद्ध जाकर पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलान्ट का कथन है कि कुछ खसरा गिरदावरियों में उसका नाम संवत् 2030 तक दर्ज रहा है, परन्तु सवंत् 2027 में प्रतिवादी ने उक्त भूमि को अपने नाम उसकी पीठ पीछे करवा ली है। वस्तुतः भूमि बिलानाम थी तथा बिलानाम भूमि को आवंटन/नियमन से प्राप्त करने के लिए जिस काश्तकार द्वारा आवेदन किया जाता है उक्त काश्तकार को विधिक रूप से बाद जांच सक्षमता के आधार पर उक्त भूमि आवंटित/नियमित की जाती है। आवंटन/नियमन की कार्यवाही होकर उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के नाम बकौल अपीलान्ट संवत् 2027 से दर्ज है। अपीलान्ट/वादीगण का यह कहना कि उसका नाम खसरा गिरदावरी में दर्ज था, इस कारण उसे ही आवंटन/नियमन किया जाना चाहिए था। यह इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि जो काश्तकार संवत् 2027 से रेकार्ड में दर्ज है उसके विरूद्ध अपना स्वत्व साबित करने के लिए वादी द्वारा ऐसी प्रभावी साक्ष्य पेश की जानी चाहिए था कि विधि के किन सुस्थापित प्रावधानों के तहत वादीगण को प्रतिवादीगण से ज्यादा उक्त भूमि पर अधिकार प्राप्त हैं। स्पष्टया वाद दायरी दिनांक को रेकार्डेड खातेदार प्रतिवादीगण जो कि वर्षो से रेकार्डेड दर्ज हैं, उनके विरूद्ध अपीलान्ट/वादीगण का सिर्फ यह कथन है कि संवत् 2008 से 2030 तक खसरा गिरदावरियों में उनका नाम प्रविष्ट रहा है। यदि उनका नाम संवत् 2008 से 2030 तक खसरा गिरदावरियों में अंकित रहा है तो उक्त भूमि उनके नाम अपने नाम करवाये

जाने के क्या उपक्रम किये गये तथा जब भूमि संवत् 2027 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी तो इतने दिनों तक वादीगण क्यों चुप रहे। हालांकि घोषणात्मक वाद के लिए कोई मियाद नहीं है, परन्तु खसरा गिरदावरियों में प्रविष्टि के आधार पर किसी को खातेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि खसरा गिरदावरी अधिकार अभिलेख नहीं है। क्षण मात्र को यदि वादीगण का आज भी कब्जा मान लिया जाये, हालांकि आज उसका कब्जा होना प्रमाणित नहीं है, तो भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने बाबत् राजस्थान काश्तकारी कानून में कोई प्रावधान नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण की पेश शुदा समस्त साक्ष्य सबूतों का विवेचन करते हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण की भी साक्ष्य सबूतों का विवेचन करते हुए जो तनकीवार आख्यापक निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

स्वर्गीय नागजी के बजाय देवजी जाति भील, निवासी सांगरीपाडा छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **कानजी आत्मज बदिया, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**14 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बांसवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**01**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री भगवतपुरी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री यशपाल गुप्ता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**01**.....**2018**
को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।